

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना-800015

कार्यालय आदेश.....29...../2026

सं०सं० अ०नि० (02) 09/2022/नि०सं०

श्रीमती प्रीति कुमारी, सहायक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर) को वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 640 दिनांक 19.01.2015 द्वारा यथा संशोधित बिहार सेवा संहिता के नियम-220A के प्रावधानों के आलोक में शिशु देखभाल हेतु दिनांक 02.02.2026 से 30.09.2026 तक कुल 241 (दो सौ इकतालीस) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती प्रीति कुमारी द्वारा उक्त दिनों का शिशु देखभाल अवकाश उपभोग करने के पश्चात् इनका कुल $730-241 = 489$ दिन शिशु देखभाल अवकाश शेष संचित है।

3. इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि० (02) 09/2022/नि०सं०.....

दिनांक

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)/मुख्य अभियोजक, वैशाली (हाजीपुर)/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ श्रीमती प्रीति कुमारी, सहायक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि० (02) 09/2022/नि०सं०.....264.....

दिनांक 30/1/26

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


29.1.26
उप सचिव।